



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275184
CG-DL-E-04082026-275184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4136]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4136]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4312(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद उक्त अधिनियम) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा, गुजरात राज्य में गेल (इंडिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए उक्त अधिनियम के तहत, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से श्री अल्पेश एन. रावल, अतिरिक्त सचिव, वडोदरा, गुजरात सरकार को श्री कल्पनाबेन भवनेशकुमार मेहता के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करती है।

[फा. सं. एल -14014/241/2021-जी पी-II (ई-41188)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4312(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Alpesh N. Raval, Additional Secretary, Vadodara, Government of Gujarat in place of Smt. Kalpnaben Bhavneshkumar Mehta to perform the functions of the Competent Authority with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette of India under the said Act on additional charge basis for all Natural Gas Pipeline projects of M/s GAIL (India) Limited in the State of Gujarat.

[F. No. L-14014/241/2021-GP-II (E-41188)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.